

हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या 15 एच० एल० ए०

हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2023

मार्च, 2024 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से किन्हीं और कतिपय राशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के खाना 11 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक की ऐसी राशियां, जो कुल मिलाकर ₹9190,82,70,000/- (केवल नौ हजार एक सौ नब्बे करोड़ बयासी लाख सत्तर हजार रुपये) होती हैं, ऐसे विभिन्न खर्चों को चुकाने के लिए, जो उक्त अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बारे में, मार्च, 2024 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान के सिलसिले में होंगे, हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा उपयोग में लाई जा सकेंगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से ₹9190,82,70,000 का दिया जाना।
3. इस अधिनियम द्वारा हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने और उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जो मार्च, 2024 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में बताए गए हैं। विनियोग।

अनु

मांग संख्या	विभाग और सेवाएं	राजस्व			
		मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़
1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
01	विधान सभा	2011- संसद / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल	97,00,000	—	97,00,000
		<b>कुल</b>	<b>97,00,000</b>	<b>—</b>	<b>97,00,000</b>
02	राज्यपाल तथा मंत्री परिषद्	2012- राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति / राज्यपाल / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	—	32,50,000	32,50,000
		2013- मंत्रीपरिषद्	50,00,000	—	50,00,000
		<b>कुल</b>	<b>50,00,000</b>	<b>32,50,000</b>	<b>82,50,000</b>
03	सामान्य प्रशासन / निर्वाचन	2015- निर्वाचन	1,00,000	—	1,00,000
		2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2,00,00,000	—	2,00,00,000
		<b>कुल</b>	<b>2,01,00,000</b>	<b>—</b>	<b>2,01,00,000</b>
04	राजस्व और आपदा प्रबन्धन / अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं) / आबकारी एवं करधान	2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण	14,00,00,000	—	14,00,00,000
		2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,28,00,000	—	1,28,00,000
		2217- शहरी विकास	50,00,00,000	—	50,00,00,000
		2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	709,01,00,000	—	709,01,00,000
		<b>कुल</b>	<b>774,29,00,000</b>	<b>—</b>	<b>774,29,00,000</b>

## सूची

मुख्य शीर्ष	पूँजीगत			कुल
	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़	जोड़
7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
—	—	—	—	97,00,000
—	—	—	—	97,00,000
—	—	—	—	32,50,000
—	—	—	—	50,00,000
—	—	—	—	82,50,000
—	—	—	—	1,00,000
—	—	—	—	2,00,00,000
—	—	—	—	2,01,00,000
—	—	—	—	14,00,00,000
—	—	—	—	1,28,00,000
—	—	—	—	50,00,00,000
—	—	—	—	709,01,00,000
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	30,00,00,000	—	30,00,00,000	30,00,00,000
<b>कुल</b>	<b>30,00,00,000</b>	<b>—</b>	<b>30,00,00,000</b>	<b>804,29,00,000</b>

मांग संख्या	विभाग और सेवाएं	राजस्व			
		मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़
1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
05	गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा / जेल (कारागार) / न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय / अभियोजन / एजीओटी / कानूनी सेवा प्राधिकरण				
06	वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण / आपूर्ति एवं निपटान / आयोजना तथा सांख्यिकी (डीईएसए)	2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन	20,00,000		20,00,000
		2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	150,00,00,000		150,00,00,000
		<b>कुल</b>	<b>150,20,00,000</b>	<b>—</b>	<b>150,20,00,000</b>
07	राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां				
10	कृषि एवं किसान कल्याण / बागवानी / पशुपालन और डेयरी विकास / मत्स्य पालन / खान एवं भूविज्ञान / पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव	2401- फसल कृषि कर्म	1,00,000		1,00,000
		<b>कुल</b>	<b>1,00,000</b>	<b>—</b>	<b>1,00,000</b>

## सूची

मुख्य शीर्ष	पूजीगत			कुल
	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़	जोड़
7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
4055-पुलिस पर पूजीगत परिव्यय	2,00,000		2,00,000	2,00,000
<b>कुल</b>	<b>2,00,000</b>	—	<b>2,00,000</b>	<b>2,00,000</b>
				20,00,000
				150,00,00,000
4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूजीगत परिव्यय	150,00,00,000	—	—	150,00,00,000
<b>कुल</b>	<b>150,00,00,000</b>	—	<b>150,00,00,000</b>	<b>300,20,00,000</b>
6401-फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज	160,00,00,000	—	160,00,00,000	160,00,00,000
<b>कुल</b>	<b>160,00,00,000</b>	—	<b>160,00,00,000</b>	<b>160,00,00,000</b>
				1,00,000
4401-फसल कृषि कर्म पर पूजीगत परिव्यय	400,00,00,000	—	400,00,00,000	400,00,00,000
<b>कुल</b>	<b>400,00,00,000</b>	—	<b>400,00,00,000</b>	<b>400,01,00,000</b>

मांग संख्या	विभाग और सेवाएं	राजस्व			
		मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़
1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
11	सहकारिता / खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले	2408- खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	30,00,000	---	30,00,000
		2425- सहकारिता	1,00,000	---	1,00,000
		<b>कुल</b>	<b>31,00,000</b>	<b>---</b>	<b>31,00,000</b>
12	शिक्षा (माध्यमिक / प्राथमिक) / उच्च शिक्षा (उच्च / तकनीकी / विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी) / महिला एवं बाल विकास	2202- सामान्य शिक्षा	112,02,00,000	---	112,02,00,000
		2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	37,00,000	---	37,00,000
		2236- पोषण	25,25,00,000	---	25,25,00,000
		<b>कुल</b>	<b>137,64,00,000</b>	<b>---</b>	<b>137,64,00,000</b>
14	स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान / आयुष / खाद्य एवं औषधि प्रशासन	2210- चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य	259,15,00,000	---	259,15,00,000
		<b>कुल</b>	<b>259,15,00,000</b>	<b>---</b>	<b>259,15,00,000</b>

## सूची

मुख्य शीर्ष	पूँजीगत			कुल
	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़	जोड़
	7	8	9	10
				11
	₹	₹	₹	₹
				30,00,000
				1,00,000
	—	—	—	<b>31,00,000</b>
				112,02,00,000
				37,00,000
				25,25,00,000
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय.	353,44,00,000	—	353,44,00,000	353,44,00,000
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	1,00,000	—	1,00,000	1,00,000
6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	538,92,00,000	—	538,92,00,000	538,92,00,000
<b>कुल</b>	<b>892,37,00,000</b>	<b>—</b>	<b>892,37,00,000</b>	<b>1030,01,00,000</b>
				259,15,00,000
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	171,17,00,000	—	171,17,00,000	171,17,00,000
<b>कुल</b>	<b>171,17,00,000</b>	<b>—</b>	<b>171,17,00,000</b>	<b>430,32,00,000</b>

मांग संख्या	विभाग और सेवाएं	राजस्व			
		मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़
1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
15	श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/रोजगार/युवा मामले)	2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास	24,06,00,000		24,06,00,000
		<b>कुल</b>	<b>24,06,00,000</b>	—	<b>24,06,00,000</b>
16	सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण/ अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय (सेवा)/ भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	205,60,70,000		205,60,70,000
		2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1063,29,50,000		1063,29,50,000
		<b>कुल</b>	<b>1268,90,20,000</b>	—	<b>1268,90,20,000</b>
17	लोक निर्माण (भवन व सड़कों) परिवहन/ नागर विमानन	3054- सड़क तथा सेतु	500,00,00,000		500,00,00,000
		<b>कुल</b>	<b>500,00,00,000</b>	—	<b>500,00,00,000</b>
19	ऊर्जा विभाग (विद्युत/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/ उद्योग एवं वाणिज्य / एमएसएमई/ सिंचाई एवं जल संसाधन	2705- कमान क्षेत्र विकास	1,00,000		1,00,000
		2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग	1,00,000		1,00,000
		2852- उद्योग	1,00,000		1,00,000
		<b>कुल</b>	<b>3,00,000</b>	—	<b>3,00,000</b>



## सूची

मुख्य शीर्ष	पूँजीगत			कुल
	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़	जोड़
	7	8	9	10
				11
	₹	₹	₹	₹
				24,06,00,000
4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परियोजनाएँ	3,00,000		3,00,000	3,00,000
<b>कुल</b>	<b>3,00,000</b>	—	<b>3,00,000</b>	<b>24,09,00,000</b>
				205,60,70,000
				1063,29,50,000
				<b>1268,90,20,000</b>
				500,00,00,000
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परियोजनाएँ	643,83,00,000	100,00,00,000	743,83,00,000	743,83,00,000
7055-सड़क परिवहन के लिए ऋण	208,20,00,000		208,20,00,000	208,20,00,000
<b>कुल</b>	<b>852,03,00,000</b>	<b>100,00,00,000</b>	<b>952,03,00,000</b>	<b>1452,03,00,000</b>
				1,00,000
				1,00,000
				1,00,000
				<b>3,00,000</b>

अनु

मांग संख्या	विभाग और सेवाएं	राजस्व			
		मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़
1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
20	नगर तथा ग्राम आयोजना / शहरी सम्पदा (शहरी विकास) / शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार) / विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास) / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2215- जलापूर्ति तथा सफाई	311,25,00,000		311,25,00,000
		2217- शहरी विकास	691,77,00,000		691,77,00,000
		<b>कुल</b>	<b>1003,02,00,000</b>	<b>—</b>	<b>1003,02,00,000</b>
			<b>4121,09,20,000</b>	<b>32,50,000</b>	<b>4121,41,70,000</b>

क्रम संख्या	मद
1	अनुपूरक अनुमान 2023-24 (पहली किस्त)
2	मांग संख्या 14, मुख्य शीर्ष 4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत उपलब्ध अनुपयोगी राशि
3	शुद्ध अनुपूरक राशि 2023-24 (पहली किस्त) (1-2)

## सूची

मुख्य शीर्ष	पूँजीगत			कुल
	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़	जोड़
	7	8	9	10
				11
	₹	₹	₹	₹
				311,25,00,000
				691,77,00,000
4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	1944,79,00,000	—	1944,79,00,000	1944,79,00,000
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	500,00,00,000	—	500,00,00,000	500,00,00,000
<b>कुल</b>	<b>2444,79,00,000</b>	<b>—</b>	<b>2444,79,00,000</b>	<b>3447,81,00,000</b>
	<b>5100,41,00,000</b>	<b>100,00,00,000</b>	<b>5200,41,00,000</b>	<b>9321,82,70,000</b>
				(राशि रुपयों में)
				9321,82,70,000
				131,00,00,000
				<b>9190,82,70,000</b>

**उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण**

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) तथा 205 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2023-24 के खर्च के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित राशियों के विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पेश किया जाता है।

मनोहर लाल,  
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

---

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :  
दिनांक : 28 अगस्त, 2023

आर० के० नांदल,  
सचिव।

---

अवधेय : उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 28 अगस्त, 2023 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था।